मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

"आदेश"

भोपाल, दिनांक 08 जून 2018

क्रमांक एफ 2–02/2013/1/59 : राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किए गए निम्नलिखित उम्मीदवारों को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट–1 के लेवल 12 के प्रारंभिक वेतन रू. 56,100/– (छटवां वेतनमान वेतन बैंड रू. 15600–39100+ 5400 पी.बी.बैंड) प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्त कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थानों में पदस्थ करता है :–

क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. राघवेन्द्र दुबे,–द्वारा सेवाराम दुबे, 96 बी बटालियन,तीसरे गेट के सामने, इटावा रोड, भिण्ड,जिला–भिण्ड, म0प्र0 पिन–477001	शास. आयु. औष. प्रतापपुरा, जिला – भिण्ड
2	डॉ.नभकिशोर चौधरी–द्वारा श्री रमाकांत चौधरी (आर.आई.) 38,अशोकनगर बम्बा के पास, अटेर रोड,भिण्ड जिला–भिण्ड, म0प्र0 पिन–477001	शास. आयु. औषधालय परा जिला–भिण्ड
3	डॉ. मिर्जा रईस बेग–बड़ा मोहल्ला, सुरेन्द्रकला तह.–सुसनेर,जिला–आगर मालवा, म0प्र0 पिन–465449	शास. आयु. औषधालय सोयतखुर्द जिला–आगर-मालवा
4	डॉ. विकेश कुमार गुप्ता–म.नं. 07, सनसिटी कालोनी,नं. 01 स्कूल के पीछे जिला छतरपुर,म0प्र0 पिन–471001	शास. आयु. औषधालय, जिला–छतरपुर
5	डॉ. आनंद असाटी–10, शास्त्री वार्ड कमांक–6 तह.विजावर,थाना विजावर, जिला–छतरपुर म0प्र0 पिन–471405	शास. आयु. चिकित्सालय, जिला–छतरपुर

2/– उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम–8 एवं म.प्र. आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम–19 के अंतर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

(2) परिवीक्षा अवधि में स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, नियमित शासकीय सेवक को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये अथवा लागू किये जावे, के अधीन रहेंगे।

(3) परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने या आगे पर्याप्त कारणों से राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि में आगे वृद्धि की जा सकेगी या सेवाएँ एक माह के नोटिस अथवा नोटिस–पे भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकेंगी।

(4) परिवीक्षा अवधि में सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जावेगा परन्तु यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(5) शासकीय/अर्द्धशासकीय निगमों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी।

निरंतर...2

(7) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2012 के तहत यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है. यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(9) यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रॉव्हीजनल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। जाति प्रमाण–पत्र अवैध पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(10) नियुक्ति के बाद यदि मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज अवैध पाये जाते हैं तो आपकी (संबंधित आ.चि. अधि. की)नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के समाप्त की जावेगी।

(11) आपको समय–समय पर शासन अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(12) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थायी) सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की देय राशि संबंधित अधिकारी से भू–राजस्व की भॉति वसूली के योग्य होगी।

(13) पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(14) इन अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।

(15) उपरोक्त नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रावधान का पालन किया गया है।

(16) नवीन अंशदान पेंशन योजना नियम–2005 लागू होंगें।

3/ यह नियुक्ति आदेश याचिका क्रमांक 11732/2017 तथा अन्य विचाराधीन याचिकाओं में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस. कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

पृ.क्रमांक एफ 02–02/2013/1/59 भोपाल, दिनांक 08 जून 2018 प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क. 12827/07/2015/चयन इन्दौर दिनांक 30.11.17 संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।

निरंतर...3

9. संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग, चबंल/सागर/उज्जैन, म.प्र.।
10. जिला आयुष अधिकारी, जिला भिण्ड/आगर–मालवा/छतरपुर, म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भिण्ड/आगर–मालवा/छतरपुर, म0प्र0
12. सर्वसंबंधित डॉ. ———————————————————————————
आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर उक्त शर्ते मान्य होने की स्थिति में ही संबंधित शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/शा.आ.औष. में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
13. स्टाफ फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग